भाग एक: खण्ड चार

आरक्षित तथा संरक्षित वनों में वन ग्रामों की स्थापना नियम, 1977

(मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र भाग 4 (ग)

दिनांक 4 फरवरी, 1977 पृष्ठ 23 पर प्रकाशत)

मध्यप्रदेश वन ग्राम नियम

1. यह नियम भारतीय वन अधिनियम 1927 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में वन भूमि पर स्थापित वन ग्रामों में लागू होंगे। ये नियम ''मध्य प्रदेश वन ग्राम नियम'' कहलावेंगे।

2. ये नियम भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन आरक्षित वन के रूप में घोषित समस्त भूमि तथा धारा 29 के अधीन संरक्षित वन के रूप में घोषित समस्त भूमि पर लागू होंगे और ऐसे दिनांक से प्रभावशील होंगे जैसे कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जावे।

3. सभी विद्यमान वन ग्रामों को इन नियमों के अधिसूचित किये जाने के दिनांक से नियमों के अधीन वन ग्राम माना जायेगा। किसी भी नये वन ग्राम की स्थापना के यि सम्बन्धित वन मण्डलाधिकारी, अपनी सिफारिश वन संरक्षक को भेजेंगे।

4.वन संरक्षक तथा अन्य वन अधिकारी, वन ग्रामों की स्थापना के लिये प्रस्ताव तैयार करते समय न केवल किसी विशिष्ट क्षेत्र में वन कार्यों के लिये श्रमिकों की आवश्यकता को यान में रखेंगे, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे ग्रामों में बसने वाले व्यक्तियों को कृषि और/या सहायक व्यवसायों के माध्यम से उनको आजीविका उपार्जन के लिये पर्याप्त सुविधायें प्राप्त हों।

5. नये ग्रामों की स्थापना का प्रस्ताव करते समय वन मण्डलाधिकारी एक योजना तैयार करेंगे, जिसमें प्रस्तावित वन ग्राम का आकार, आदिवासियों की संख्या, बसने के लिये आवश्यक भूमि, विस्तार तथा समुदायिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक भूमि तथा ग्राम के विस्तार की आवश्यकताओं का भी ध्यान में रखा जावेगा। वन संरक्षक भी अपना अनुमोदन देते समय इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे।

6. (क) आदिवासियों को प्रति परिवार 2.5 हेक्टेयर के हिसब से भूमि आवंटित की जावेगी। ऐसे संयुक्त परिवार को, जिसमें एक से अधिक वयस्क सदस्य हों, 2.5 हेक्टयर अतिरित भूमि आबंति की जावेगी

(ख) भूमि केवल ऐसे व्यक्तियों को आबंटित की जायेगी, जो उस क्षेत्र के मल निवासी हों और जो वानिकी कार्य करते हों। आबंटन में उस क्षेत्र की अनुसूचित जातियों के सदस्यों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जावेगी।

7. भूमि इन नियमों से संलग्न फार्म (अ) में एक पट्टा विख पर प्रदान की जावेगी। पट्टा प्रारम्भ में 15 वर्षों की अवधि के लिये होगा लेकिन उसका नवीनीकरण ऐसी शर्तों पर किया जावेगा जो कि निश्चित की जावे।

8. पट्टे की किसी शर्त; या इन नियमों को भंग करने पर, ऐसा कोई अधिकारी, जो वन संरक्षक से कम ओहदे का न हो, पट्टा रद्द कर सकेगा किन्तु सम्बन्धित वन ग्राम के पट्टाधारी को कारण बताने का अवसर देने के उपरान्त ही ऐसा आदेश दिया जावेगा। वन ग्राम में बसने वाला ऐसा व्यक्ति, जिसका पट्टा वन संरक्षक द्वारा रद्द कर दिया गया हो, वन संरक्षक के आदेश के विरूद्ध मुख्य वन संरक्षक को अपील कर सकेगा। जिसका निर्णय अन्तिम तथा बंधनकारी होगा।

9. नियम 7 में दी गई शर्तों को छोड़, आदिवासी को उसे आवंटित भूमि पर पट्टे जारी रहने के दौरान मुक्त अधिकार होगा, तथापि वह कृषि के सुधार के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु अपनी भूमि किसी अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी संस्था या इस प्रकार मान्यता प्राप्त संस्था के पास बंधक रख सकेगा।

10. जो अनुसूचित बैंक, सरकारी संस्था, जो वन ग्रामों के आदिवासी को इन नियमों के अनुसार कोई ऋण दे, वह ऋण की वसूली के लिये आवंटित भूमि कुर्क करने की हकदार होगी तथापित वह बैंक या संस्था, वन मण्डलाधिकारी को, कुर्की और उन उपायों के सम्बन्ध में जो वह ऋण की वसूली के लिये अपनाना चाहती है, की सूचना देगी। संस्था ऐसी देय राशियों की वसूली के लिये भूमि को नीलाम भी कर सकती है, तथापित ऐसी भूमि आदिवसी की श्रेणी के ही व्यति को बेची जा सकेगी। नीलामी भूमि खरीदने वाले के पक्ष में भूमि का अन्तिम अन्तरण उन्हीं शर्तों पर, जो मूल बसने वाले व्यक्ति पर लागू हो, और इन नियमों के अनुसार ही किया जावेगा। ऐसा अन्तरण वन मण्डलाधिकारी के पूर्वानुमोदन से होगा।

11. आदिवासी पट्टे के अधीन अपने अधिकारी को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करने का हकदार नहीं होगा

12. किसी आदिवासी की मृत्यु हो जाने पर, वन मण्डलाधिकारी, मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को, उसकी भूमि मूल शर्तों पर आवंटित कर सकेगा।

13. वन मण्डलाधिकारी, वन ग्रामों के सम्बन्ध में ऐसे फार्मों में अभिलेख तैयार करने की व्यवस्था करेगा, जो इन नियमों के अधीन विति किये जावें।

14. वन मण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आदिवासियों या उनकेक परिवारों के सदस्यों को, जो वन कार्यों में नियोजित किये जाते हों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या लागू होने वाली अन्य विधि के अधीन, विहित मजदूरी का भुगतान किया जाता है। आदिवासी या उसके परिवार के किसी सदस्य को, वन कार्यों में नियोजित किये जाने के लिए विवश नहीं किया जावेगा। वन व्यवसाय के लिये मजदूरों की भरती, करते समय वन मण्डलाधिकारी या उनके अधीनस्थ कर्मचारी, वन ग्राम के आदिवासियों को प्राथमिकता देंगे। तथापि वन में आग लग जाने जैसी स्थिति या आपाती मामलों में वन मण्डलाधिकारी या उसके अधीनस्थ कर्मचारी वन ग्राम के आदिवासी या उसके परिवार के सदस्य को वन ग्राम के कार्यों में सामान्य मजदूरी पर काम करने के लिये कह सकेंगे।

15. आदिवासी इतने पशु का हकदार होगा, जितने पशु राजस्व ग्रामों के निवासी निस्तार नियमों के अधीन रख सकते हैं। वह उसी मान पर चराई शुल्क का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

16. आदिवासियों को उनकी निस्तार आवश्यकताओं के लिये इमारती लकड़ी तथा ईंधन की पूर्ति की जा सकेगी। उसकी मात्रा वन मण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी तथा वह सदैव क्षेत्र सामग्री की उपलब्धता के अधीन

होगी। रायल्टी के भुगतान के सम्बन्ध में रियायत उसी आधार पर दी जावेगी। जिस आधार राजस्व ग्राम में रहने वाले कृषकों क निस्तार के सम्बन्ध में दी जाती है।

17. वन मण्डलाधिकारी, प्रत्येक वन ग्राम के लिये पटवारी का काम करने के लिए एक वन रक्षकी नियुक्ति कर सकेगा। इसी पटवारी को ग्राम के अभिलेख रखने होंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करना होगा जो वन मण्डलाधिकारी द्वारा सौंपे जावें।

18. वन ग्राम के आदिवासी, अपने में से किसी आदिवासी को, कोटवार चुन सकेंगे। उसको वे सब कार्यघ् करना होंगें जो उसे उसी ग्राम के या निकटस्थ ग्राम के कोटवार के रूप में सौंपे जावें। उसे ऐसा पारिश्रमिक दिया जावेगा, जो कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विहित किया जावे।

19. वन मण्डलाधिकारी, वन ग्राम के किसी आदिवासी को, उसी ग्राम के या निकटस्थ ग्राम के कोटवार के रूप में नियुक्त कर सकेगा। वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो समय-समय पर विहित किया जावे।

20. पट्टे का शुल्क उसी दर से होगा जो कि निकटतम राजस्व ग्राम में तुलनीय भूमि के लिये लगान हेतु निर्धारित हो। लगान कके पुनरीक्षण होने पर पट्टा शुल्क का पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

21. जब कलेक्टर दुर्भिक्ष की स्थिति के परिणामस्वरूप, भूराजस्व के निलम्बन, या छूट का आदेश दे तो वन संरक्षक को भी किसी वन ग्राम में पट्टा शुल्क निलम्बित करने या उसमें छूट देने का अधिकार होगा। वन संरक्षक एक वर्ष में, एक वन ग्राम में, अधिक से अधिक 200.00 (दो सौ रुपये) तक के वसूल न किये जा सकने योग्य पट्टा शुल्क को बट्टे खाते में डाल सकेगा।

22. इन नियमों के प्रभावी होने के दिनांक से, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवृत्त, इस विषय के सभी नियम रद्द हो जावेंगे। रद्द नियमों के किसी भी नियम के अधीन या अन्यथा ऐसे दिनांक के पूर्व किये गये किसी भी कार्य को इन नियमों के अधीन की गई कार्यवाही माना जावेगा।

परिशिष्ट 'अ'

(Counterfoil)

वन ग्राम में रहने का पट्टा

पुस्तक क्र................. पृष्ठ क्र. ....
वन मण्डल ....
परिक्षेत्र ....
वन ग्राम ....
नाम ....
आत्मज ....
जाति ....

वन ग्राम में रहने का पट्टा

पुस्तक क्र................. पृष्ठ क्र. पट्टा क्र.
....
वन मण्डल ....
परिक्षेत्र ....
वन ग्राम ....
आबंटित भूमि .... हेक्टेयर
पट्टा जारी करने की
तिथि.......................................
पट्टा समाप्ति की तिथि

जाति ....

पट्टेदार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशाली ....

गवाह वनमझलाधिकारी

-------- --------------

पट्टा देने की तारीख

पट्टा समाप्त होने की तारीख जारी करने वाला वन मण्डलाधिकारी .... मुझे वन ग्राम में बसने के लिये बनाये नियम स्वीकार हैं।

पट्टेदार के

यह पट्टा निम्नलिखित नियमों के अन्तर्गत दिया जा रहा है -

1. यह पट्टा 15 वर्ष के लिये लागू होगा।

2. आबंटित भूमि पर पट्टेदार का पूर्ण अधिकार होगा किन्तु वह इस भूमि को बेंच नहीं सकेगा।

3. पट्टेदार को इस पट्टे के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा।

4. पट्टेदार की मृत्यु होने पर आबंति भूमि पट्टेदार की विधवा या उसके पुत्र को वन मण्डलाधिकारी की स्वीकृति से एवं इन्हीं शर्तों पर हस्तान्तरित की जा सकेगी।

5. पट्टेदार को आबंटित भूमि के लिये वन संरक्षक द्वारा निर्धारित पट्टा शुल्क पटाना होगा।

6. पट्टेदार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत वर्जित हो।

7. वन ग्राम हेतु शासन द्वारा बनाये गये नियमों के उल्लंघन करने पर यह पट्टा वन संरक्षक द्वारा निरस्त किया जा सके। पट्टेदार को वन संरक्षक के आदेश के विरूद्ध मुख्य वन संरक्षक के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।

8. पट्टेदार एवं उनके सदस्यों को वन कार्यों पर सवोच्च प्राथमिकता के आधार पर लगाया जावेगा।

9. वन कार्यों पर, पट्टेदार एवं उनके परिवार के सदस्यों को न्यूनतम मजदूरी कानून के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी दी जावेगी।

10. पट्टेदार को राजस्व ग्रामों के सदृश्य ही निस्तार सुविधाओं के अन्तर्गत पशु पालने का अधिकार होगा तथा उसे समान आधार पर चराई शुल्क पटाना होगा।

11. पट्टेदार को, निस्तार आवश्यताओं की पूर्ति के लिए इमारती लकड़ी एवं जलाऊ लकड़ी, क्षेत्र में लागू नियमों के अन्तर्गत प्राप्त हो सकेगी एवं इस पूर्ति के लिए राजस्व ग्राम के सदृश्य ही मूल्य किया जावेगा।

12. कृषि सुधार कार्य के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु पट्टेदार को आबंटित भूमि अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी बैंक समिति या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त ऐसी संस्था के पास गिरवी रखने का अधिकार होगा।

13. पट्टेदार द्वारा ऋण की अदायगी न किये जाने की स्थिति में बैंक में गिरवी रखी गई भूमि को कुर्क करने का अधिकार होगा, किन्तु ऐसा करने के पूर्व इन संस्थाओं को वन मण्डलाधिकारी को सूचित करना होगा एवं यह भी बताना होगा कि ऋण की वसूली हेतु वे क्या कार्यवाही प्रस्तावित करते हैं।

14. बैंक द्वारा कुर्क की गई भूमि ऋण वसूली के लिये नीलाम की जा सकेगी। क्रेता को भूमि का हस्तान्तरण उन्हीं शर्तों पर किया जावेगा जो मूल पट्टेदार के लिये लागू थीं। भूमि आदिवासियों की श्रेणी के व्यक्तियों को बेंची जा सकेगी।